



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

E-Mail : eechampawat@rediffmail.com

& Fax No. 05965-230034

E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :- 1790/2 सी०

दिनांक :- 1/10/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग चम्पावत।

विषय:- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगाँव कलियाधूरा (छिडाखान) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720 हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/145468/2021)

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक का पत्रांक 2927 / FP/UK/ROAD/145468/2021 दिनांक 07.06.2022

महोदय,

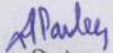
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक द्वारा 17 नं० आपत्तियाँ लगाई गई है जिसके अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:-

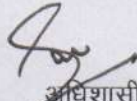
बिन्दु सं०-1- प्रस्ताव पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची तैयार कर प्रस्ताव पर संलग्न करें।	खण्ड के विशेष वाहक द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से 3 नं० प्रस्तावों की हार्ड प्रतियों में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची चस्पा कर दी गयी है।
बिन्दु सं०-2- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-I, भाग-II, भाग-III, भाग-IV व भाग-V को कम बार प्रस्ताव के आरम्भ में संलग्न करें।	खण्ड के विशेष वाहक द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से 3 नं० प्रस्तावों की हार्ड प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र भाग-I, भाग-II, भाग-III, भाग-IV व भाग-V को कम बार प्रस्ताव के आरम्भ में संलग्न कर दी गयी है।
बिन्दु सं०-3- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन सिविल सोयम भूमि में करते हुये योजना एवं मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल लिंक मार्ग होने के कारण पूर्व चयनित अवनत वनभूमि डुंगराबोक्कू कं० नं० 21 मान्य करते हुये प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
बिन्दु सं०-4- प्रस्तावित मोटर मार्ग में बांज वृक्षों का पातन निहित है, अतः बांज वृक्षों के पातन सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाला बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 81 में (हार्ड प्रतियों) में संलग्न है।
बिन्दु सं०-5- प्रस्तावित परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना एवं एन०पी०वी० की धनराशि वर्तमान दरों के अनुसार निर्धारित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	एन०पी०वी० एवं सी०ए० की धनराशि नवीनतम दरों में तैयार कर आनलाईन कर दी गयी है।
बिन्दु सं०-6- प्रस्ताव संलग्न प्रपत्रों के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2008 की संलग्न की गयी है, जबकि प्रस्तावित मार्ग निर्माण का प्रस्ताव गठन 12-14 वर्ष के उपरान्त किया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट करें।	वर्ष 2008 में स्वीकृति के उपरान्त 2015 में आनलाईन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
बिन्दु सं०-7- प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट-I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।	ऑनलाईन पार्ट-I, A(iii) में संक्षिप्त विवरण अंकित कर दिया गया है।
बिन्दु सं०-8- प्रस्ताव में ऑनलाईन फार्म A Part-1 में B2.3 B2.4, और B2.2 में भरे गये वनभूमि के क्षेत्रफल में भिन्नता है। कृपया सही क्षेत्रफल प्रस्ताव में अंकित करें।	ऑनलाईन फार्म A Part-1 में B2.3 B2.4, और B2.2 में सही क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
बिन्दु सं०-9- प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची (सारांश) वैज्ञानिक नाम सहित मूल प्रस्ताव में पृष्ठ सं० 74 में संलग्न है।

कम्पावत :- 2/10

बिन्दु सं०-10-प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्राजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची (सारांश) वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्राजातिवार सूची सहित मूल प्रस्ताव में पृष्ठ सं० 74 में संलग्न है।
बिन्दु सं०-11-आनलाईन पार्ट-1 में Employment detail नहीं भरी गयी है।	आनलाईन पार्ट-1 में Employment detail भर दी गयी है।
बिन्दु सं०-12-क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थान पर समरेखन के जी०पी०एस० मानचित्र अपलोड किये गये हैं।	वृक्षारोपण जी०पी०एस० मानचित्र में अपलोड कर दिया गया है।
बिन्दु सं०-13- पार्ट-11 के पैरा एवं 3 में भरी गयी क्षेत्रफल के विवरण में भिन्नता है।	आख्या प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा भरी जानी है।
बिन्दु सं०-14-पार्ट-11 के पैरा-5 में Working plan का विवरण नहीं भरा गया है।	आख्या प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा भरी जानी है।
बिन्दु सं०-15- पार्ट-11 के पैरा-13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण नहीं भरा गया है।	आख्या प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा भरी जानी है।
बिन्दु सं०-16- पार्ट-11 में वन संरक्षक की संस्तुति अपलोड नहीं की गयी है।	आख्या प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा भरी जानी है।
बिन्दु सं०-17- पार्ट-11 के अतिरिक्त सूचना में एन०पी०वी०, बार चार्ट, लैण्ड शैड्यूल, वृक्षों की सूची एवं DSS analysis की रिपोर्ट नहीं की गयी है।	आख्या प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा भरी जानी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आपत्तियों के ऑनलाईन निराकरण उपरान्त हार्ड प्रतियाँ 5-5 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

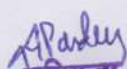

सहायक अभियंता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत


अधिसासी अभियंता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत

मोटर मार्ग से लिंक मार्ग द्वारा संयोजन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बिनवालगाँव-
कलियाधूरा (छीड़ाखान) मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 15.200 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि रीठा बिनवालगाँव मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) पूर्व निर्मित 5.000 किमी० का पक्का मार्ग है जो कि वर्ष 2015-2016 से निर्मित है, प्रस्तावित बिनवालगाँव कलियाधूरा मोटर मार्ग लम्बाई (15.200 किमी०) उपरोक्त वर्णित पूर्व निर्मित 5.000 किमी० मार्ग के किमी० 5.000 से लिंक होता है। जो कि रीठा क्षेत्र एवं बिनवालगाँव को कलियाधूरा से जोड़ेगा।


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड, लो० नि० वि०,
चम्पावत


अधिसूची अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड, लो० नि० वि०,
चम्पावत


(विवेक कुमार)

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विनवालगॉव-
कलियाधूरा (छीड़ाखान) मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 15.200 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति वर्ष 2008 में होने के उपरान्त मार्ग का सर्वेक्षण, भूगर्ववेत्ता का निरीक्षण एवं ग्रामीणों के मध्य समरेखण विवाद आदि सुलझाने के उपरान्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपलब्ध होने के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करते हुये प्रस्ताव तैयार कर वर्ष 2015 में आनलाईन कर दिया गया था, जोकि आर०ई०सी० बैठक में प्रस्तावों में संशोधन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में संशोधित प्रस्ताव पुनः वर्ष 2021 में आनलाईन किये गये।

A. Parley
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

[Signature]
अधिसारी अभियन्ता
अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

[Signature]
सिद्धेश्वर झा

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विनवालगौव-कलियाधूरा (छीड़ाखाना) मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 15.200 कि०मी०

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी - 5
2. हरियाली का घनत्व - 0.4
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे० - 1292850.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 8.721 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि - 11274944.85

Ramdev

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Q

SPadley

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

SPadley

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (प्रान्त 1)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में बिनवालगाँव-कलियाधुरा (छीड़ाखान) मोटर मार्ग लम्बाई 11 (लम्बाई 15.20 कि०मी०)

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-अवनत वन भूमि डूगराबॉकू क०न० 21 क्षेत्रफल-17.442

रोपित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या :-19186 पौधे

रोपित प्रजातियों :- उत्तीस, बॉज, देवदार आदि

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
प्रथम चरण					
1	सर्वे एवं सीमांकन	17.442	हैक्टेयर	147	2563.97
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	17.443	हैक्टेयर	887	15471.94
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) प्र० हे० 84 घन मी० औसत	1465.21	घन मी०	478	700370.38
4	अग्रिम मृदा कार्य (0.30x0.30x0.45)	19186	गड्डे	11.14	213732.04
5	निरीक्षण बटिया बनाना	17.442	हैक्टेयर	737	12854.75
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	19186	प्र०हे०	8.70	166918.20
7	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य।	17.442		LS	500000.00
8	अन्य व्यय	LS		LS	400000.00
योग प्रथम चरण					2011911.29
द्वितीय चरण					
1	गड्डा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	19186	गड्डे	1.75	33575.50
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	19186	पौध	1.75	33575.50
3	पौध ढुलान कार्य (25 प्रतिशत नंगी तथा 75 प्रतिशत बैंग)	19186	पौध	9.70	186104.20
4	पौधरोपण व थालाबन्दी	19186	पौध	3.13	60052.18
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	19186	पौध	2.3	44127.80
6	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	17.442	हैक्टेयर	7235	126192.87
7	7.1 :- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हेक्टेयर	17.442	हैक्टेयर	350	6104.70
	7.2 :- सुरक्षा दीवार/घेरबाढ़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	17.442	हैक्टेयर	225	3924.45
	7.3 :- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना - (अ) प्रोत्साहन/प्रशिक्षण	17.442	हैक्टेयर	400	6976.80
8	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय, वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने के लिये पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डॉक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	17.442	हैक्टेयर	700	12209.40
9	रासायनिक खाद एवं दवा	19186	पौध	0.32	6139.52
10	अन्य व्यय	LS		LS	400000.00

	योग द्वितीय चरण				918982.92
क0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु0)	योग
1	2	3	4	5	6
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	17.442	हैक्टेयर	10852	189280.58
2	2.1 :- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हैक्टेयर	17.442	हैक्टेयर	350	6104.70
	2.2 :- सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना	17.442	हैक्टेयर	225	3924.45
	2.3 :- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन/प्रशिक्षण देना -	17.442	हैक्टेयर	400	6976.80
3	अन्य व्यय	LS		LS	280000.00
	योग तृतीय चरण				486286.53
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	17.442	हैक्टेयर	10852	189280.58
2	2.1 :- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हैक्टेयर	17.442	हैक्टेयर	350	6104.70
	2.2 :- सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना	17.442	हैक्टेयर	225	3924.45
	2.3 :- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन/प्रशिक्षण देना -	17.442	हैक्टेयर	400	6976.80
3	अन्य व्यय	LS		LS	250000.00
	योग चतुर्थ चरण				456286.53
	पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	17.442	हैक्टेयर	10852	189280.58
2	2.1 :- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हैक्टेयर	17.442	हैक्टेयर	350	6104.70
	2.2 :- सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना	17.442	हैक्टेयर	225	3924.45
	2.3 :- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन/प्रशिक्षण देना -	17.442	हैक्टेयर	400	6976.80
3	अन्य व्यय	LS		LS	200000.00
	योग पंचम चरण				406286.53
	षष्ठम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	17.442	हैक्टेयर	10852	189280.58
2	2.1 :- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हैक्टेयर	17.442	हैक्टेयर	350	6104.70
	2.2 :- सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना	17.442	हैक्टेयर	225	3924.45
	2.3 :- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन/प्रशिक्षण देना -	17.442	हैक्टेयर	400	6976.80
3	अन्य व्यय	LS		LS	200000.00
	योग षष्ठम चरण				406286.53
	सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	17.442	हैक्टेयर	10852	189280.58

[illegible]

द्वादश चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	17.442	हैक्टेयर	10852	189280.58
2	2.1 :- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धारा-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हैक्टेयर	17.442	हैक्टेयर	350	6104.70
	2.2 :- सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना	17.442	हैक्टेयर	225	3924.45
	2.3 :- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन/प्रशिक्षण देना -	17.442	हैक्टेयर	400	6976.80
3	अन्य व्यय	LS		LS	200000.00
	योग द्वादश चरण				406286.53
	महायोग				7123759.55
	किन्तु देय	17.442	हैक्टेयर	407992	7116196.46
या					
7116196.00					

APadley
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

Joe
अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (च.प्र.ग.)

Joe
वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र-लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

Joe
(चम्पावत)

Joe
चम्पावत

Joe
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।